


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

१.५.२३

पजावली मंहगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गावों
के संग अभियान २०२३ ग्राम पंचायत धीवास
में पेश हुई। विपक्षीयता के लम्बन बाद तामिल
होकर प्राप्त हुए जिसे शाप पठ किये गये।
प्रार्थी का शापण स्वीकार किया जाकर विणीय
पृथक से लिखा जाकर शाप पठ किया गया।
पजावली फैसल शुमार होकर जम्बर से कम हो


हुकमीचन्द सिंहलानिया
उपखण्ड अधिकारी पाण्डल
प्रशासन गावों के संग अभियान २०२३

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी- हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 12/23 प्रा. पत्र

1- श्री नारायण जी श्री गणेश गीत गिवासी. तातलारा तहसील माण्डल

-प्राथी

बनाम

1- श्री हीरा जी गंगाराम गीत गिवासी. तातलारा तहसील - माण्डल

2. श्री पुत्रा जी गणेश गीत _____

3. श्री गोपात्र जी गिहु तातलारा _____

4. शहरमान गण्ड पारिए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 02.05.23

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कापड़िया पटवार हल्का तातलारा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 1135/968 कुल किता 0.1 रकबा 0.50.59 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कापड़िया पटवार हल्का तातलारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 1135/968 कुल किता 0.1 रकबा 0.50.59 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हेमराव को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत कर।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023